

**कार्यालय:— निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, देहरादून।**

**(74/1, राजपुर रोड़, गढ़वाल मण्डल विकास निगम परिसर, देहरादून)**

संख्या: 3798 / 2024-25

दिनांक : 15 जून, 2024

**—: विज्ञापित :-**

श्रम अनुभाग, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या:-224/VIII/ 14-23(ईएसआई)/2012 दिनांक 04.03.2014 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 16.01.2017 एवं संशोधित दिनांक 09.10.2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत योजना के विभिन्न औषधालयों में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि या नियमित चिकित्सक की तैनाती होने पर, जो भी पहले हो तक के लिए नियत मानदेय रू0. 55,000/- (रूपये पचपन हजार मात्र) प्रतिमाह के आधार पर तैनाती की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखंड, 74/1 राजपुर रोड़, गढ़वाल मण्डल परिसर, देहरादून में साक्षात्कार में उपस्थित होना चाहें। साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन प्रारूप एवं अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईट [www.esisuk.in](http://www.esisuk.in) से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र०स०	पदनाम	रिक्तियों की संख्या	अर्हताएं/शैक्षिक योग्यता	मानदेय
1.	चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक)	जनपद उत्तरकाशी -01पद जनपद चमोली -02 पद जनपद पौड़ी (श्रीनगर) -01 पद जनपद रुद्रप्रयाग -02 पद जनपद अल्मोडा -02 पद जनपद पिथौरागढ़ -02 पद जनपद चम्पावत -02 पद जनपद बागेश्वर -02 पद योग - 14 पद	एम0बी0बी0एस0 एवं उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद (Uttarakhand Medical Council) में पंजीकृत।	रू0 55,000/- प्रतिमाह

निदेशक  
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,  
श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखंड

12×12

(डॉ. आकाशदीप)  
मुख्य चिकित्साधिकारी (प्र.)  
निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना  
देहरादून

## संविदा चिकित्सक से संबंधित

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर साक्षात्कार प्रत्येक बृहस्पतिवार को निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड 74/1 राजपुर रोड, गढ़वाल मण्डल परिसर, देहरादून में होगा।

- आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है, किन्तु 70 वर्ष से अधिक न हो।
- अभ्यर्थी को भारतीय चिकित्सा परिषद तथा उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्नक आवश्यक है:-
  - ✓ शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां।
  - ✓ उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
  - ✓ दो पासपोर्ट साईज फोटो।
  - ✓ चरित्र प्रमाण पत्र दो (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत जो अभ्यर्थी के सगे संबंधी न हो।
  - ✓ जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी)
  - ✓ अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो।

### आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम.....
2. पिता/पति नाम.....
3. जन्म तिथि.....
4. शैक्षिक योग्यता.....
5. क्या अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है? हाँ/नहीं.....यदि हाँ तो आरक्षित श्रेणी का नाम.....
6. कार्य का अनुभव.....
7. स्थाई पता.....
8. पत्राचार का पता.....
9. मो0 न0.....
10. अन्य विवरण (यदि हो तो).....  
संलग्नकों की संख्या:-  
मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता /करती हूँ कि :-
  1. मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य हैं। यदि इसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाए तो मेरा आवेदन रद्द किया जाए।
  2. मेरे चयन होने की स्थिति पर मेरे द्वारा किसी भी स्तर पर संविदा पर की गई सेवा संबंधी लाभ का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

नवीनतम  
फोटो चस्पा करें

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक सहित